

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

ज्ञापन क्रमांक 154 / NHDP / Cell / अम्बिकापुर

दिनांक- 02/05/2017

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल सरगुजा
जिला सरगुजा (छ.ग.)


विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 (नया रा.रा. 43) के अम्बिकापुर से पथलगाँव भाग तक के 2-लेन पेक्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव बावत्। (क्षेत्रफल- 31.104 हे०)

संदर्भ :- 1. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ०ग०, अरण्य भवन, रायपुर (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-भू-प्रबंध) के पृ० क्र०/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम. -115-589/810 रायपुर, दिनांक 25.03.2017
2. FCA/CG./Road/12117/2015

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषय में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत NH-78 to 2-Lane with Paved Shoulder from Ambikapur to Pathalgaon कुल क्षेत्र 31.104 हे० वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रेषित परियोजना प्रतिवेदन में ऑनलाईन परीक्षण में बिन्दु क्र. 7. प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति के कार्यवाही विवरण संलग्न करने हेतु प्रकरण मूलतः वापिस किया गया था। प्रस्ताव अंतर्गत प्राप्त कमियों का निराकरण कर उप खण्ड स्तरीय समिति सूरजपुर, अम्बिकापुर, सीतापुर तथा पथलगाँव का कार्यवाही विवरण सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा०) सूरजपुर, अम्बिकापुर, सीतापुर तथा पथलगाँव से मूलतः प्राप्त किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उप खण्ड स्तरीय समिति सूरजपुर, अम्बिकापुर, सीतापुर तथा पथलगाँव का कार्यवाही विवरण मूल प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


कार्यपालन अभियंता
लो०नि०वि०रा०रा०संभाग अम्बिकापुर

पृष्ठांकन क्रमांक


/ NHDP / Cell / अम्बिकापुर

दिनांक-...../05/2017

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. रा.रा. परिक्षेत्र रायपुर, पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. रा.रा. मण्डल बिलासपुर, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र :-




कार्यपालन अभियंता
लो०नि०वि०रा०रा०संभाग अम्बिकापुर

FORM - I

(For linear project)

Government of Chattisgarh

Office of the District Collector : Surguja

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

No. 1374

Dated 6.8.2016

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects, it is certified that 23.077 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Chief Engineer NH Zone PWD C.G. Govt. Raipur for Construction of NH-78 (new NH-43) 2-lane widening with paved shoulder of Ambikapur-Pathalgaon section under NHDP-IV in Surguja district falls within jurisdiction of respectively Sandbar, Laxmipur, Kanntiprakashpur Villages in Ambikapur tehsil and Lamgaon, Kot villages in Lundra tehsil and Sedam villages in Bataulli tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 23.077 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 09.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


COLLECTOR

DISTRICT - SURGUJA (CG)

FORM-I

(for linear project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector, Surajpur (C.G.)

No. 860/Reader/2016

Surajpur/Dated 24/2/2016


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects, it is certified that 7.185 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Chief Engineer, NH Zone, PWD, C.G.Govt., Raipur for Construction of NH -78 (new NH-43) 2-lane widening with paved shoulder of Ambikapur-Pathalgaon Section under NHDP-IV in Surajpur district falls within jurisdiction of Mahabeerpur and Aamgaon villages in Surajpur tehsil in Pilkha sub-tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights* under the FRA has been carried out for the entire 7.185 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 2
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities

Encl:- As above


(G.R.Churendra)
Collector
Surajpur (C.G.)

कलंकट
जशपुर (छत्तीसगढ़)

R.C.N. 229/B-121/2015-16.

Annexure-I

FORM-I

(for linear project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Jashpur

No. S.O. 2 / अचक्र / 2016

Dated. 25.07.2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects, it is certified that 0.842 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Chief Engineer, PWD, National Highway, Raipur, Chhattisgarh for Widening and Upgrading to 2 lane with paved shoulder of NH-78 from Ambikapur to Pathalgaon Section in Jashpur district falls within jurisdiction of Rairumakala, Kerakachar, Karmitikra villages in Pathalgaon tehsil.

It is further certified that :

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.842 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure. 13 to 67 annexure.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities

Encl:- As above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

अनुविधानिक अधिकारी (रा.)
जशपुर, जिला-जशपुर (च.ग.)

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अम्बिकापुर जिला सरगुजा

// बैठक की कार्यवाही विवरण //

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम, 2012 के तहत ग्राम पंचायत सुंदरपुर, कांतिप्रकाशपुर, लालमाटी, सुमेरपुर, सायरसाई, एवं सिलसिला में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र०-78 के अम्बिकापुर से पथलगांव सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुशंसा सहित प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर से अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	हल्का नम्बर/वन खण्ड	खसरा नंबर	रकबा हेक्टे० में	मद
1	2	3	4	5	6	7
	सुंदरपुर	सुंदरपुर	P 2530	-	7.091	संरक्षित वन
	सुंदरपुर	सुंदरपुर	P 2531	-	7.590	संरक्षित वन
	कांतिप्रकाशपुर	कांतिप्रकाशपुर	2588	-	0.350	आरक्षित वन
	लालमाटी	लालमाटी	2589	-	1.680	आरक्षित वन
	सुमेरपुर	सुमेरपुर	P 2606	-	4.051	संरक्षित वन
	सुमेरपुर	सुमेरपुर	P 2607	-	0.840	संरक्षित वन
	सायर साई	सायर साई	P 2630	-	1.300	संरक्षित वन
	सिलसिला	सिलसिला	P 2622	-	0.070	संरक्षित वन
	योग				22.972	



प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 27/4/16 को अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया, कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र०-78 के अम्बिकापुर से पथलगांव सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किये जाने हेतु अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लुण्डा
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति.....

श्री/ श्रीमती.....
सदस्य, जनपद पंचायत.....
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति.....

श्री/ श्रीमती.....
सदस्य, जनपद पंचायत.....
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत अम्बिकापुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति अम्बिकापुर

अनुविभागीय अधिकारी(वन)
अम्बिकापुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति अम्बिकापुर

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अम्बिकापुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति अम्बिकापुर

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति सूरजपुर जिला सूरजपुर

// बैठक की कार्यवाही विवरण //

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम, 2012 के तहत ग्राम पंचायत महावीरपुर, आमगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र०-78 के अम्बिकापुर से पथलगांव सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुशंसा सहित प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर से अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	हल्का नम्बर/वन खण्ड	खसरा नंबर	रकबा हेक्टे० में	मद
1	2	3	4	5	6	7
	महावीरपुर	महावीरपुर	P 2528	-	1.125	संरक्षित वन
	महावीरपुर	महावीरपुर	प.ह.न. 51	97	0.06	छोटे झाड़ का जंगल
	महावीरपुर	महावीरपुर	प.ह.न. 51	189	0.02	छोटे झाड़ का जंगल
	महावीरपुर	महावीरपुर	प.ह.न. 51	222	0.01	छोटे झाड़ का जंगल
	महावीरपुर	महावीरपुर	प.ह.न. 51	226	0.39	छोटे झाड़ का जंगल
	आमगांव	आमगांव	P 2533	-	5.520	संरक्षित वन
	आमगांव	आमगांव	प.ह.न. 52	561	0.02	छोटे झाड़ का जंगल
	आमगांव	आमगांव	प.ह.न. 52	563	0.03	छोटे झाड़ का जंगल
	आमगांव	आमगांव	प.ह.न. 52	575	0.01	छोटे झाड़ का जंगल
	योग				7.185	

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 19.02.2016 को अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया, कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र०-78 के अम्बिकापुर से पथलगांव सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किये जाने हेतु अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री श्रीमती सुरज गुला
अध्यक्ष, जनपद पंचायत सूरजपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सूरजपुर

श्री श्रीमती सुरज गुला
सदस्य, जनपद पंचायत सूरजपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सूरजपुर

श्री श्रीमती सुरज गुला
सदस्य, जनपद पंचायत सूरजपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सूरजपुर

श्री सुरज गुला
मंडल संचालक
जनपद पंचायत सूरजपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सूरजपुर

अनुविभागीय अधिकारी(वन)
सूरजपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सूरजपुर

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
सूरजपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सूरजपुर

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति सीतापुर जिला सरगुजा


// बैठक की कार्यवाही विवरण //


अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम, 2012 के तहत ग्राम पंचायत बिशुनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र०-78 के अम्बिकापुर से पत्थलगांव सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुशंसा सहित प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर से अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र०	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	हल्का नम्बर/ वन खण्ड	खसरा नंबर	रकबा हेक्टे० में	मद
1	2	3	4	5	6	7
	बिशुनपुर	बिशुनपुर	P 2453	-	0.105	संरक्षित वन
	योग				0.105	


प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 23/07/16 को अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया, कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।


अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र०-78 के अम्बिकापुर से पत्थलगांव सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किये जाने हेतु अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।


श्री कलमू लकड़ा
जनपद पंचायत सदस्य बतौली
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सीतापुर


श्रीमती अनिता सिंह
जनपद पंचायत सदस्य सीतापुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सीतापुर


श्री रघुनाथराम, मंडल संयोजक
जनपद पंचायत सीतापुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सीतापुर


अनुविभागीय अधिकारी(वन)
सीतापुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सीतापुर


अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
सीतापुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
अधिकार समिति सीतापुर


कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (रा0) पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ0ग0)
// बैठक की कार्यवाही विवरण //


अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम, 2012 के तहत ग्राम पंचायत रैरूमाकला, केराकछार, करमीटिकरा में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0-78 के अम्बिकापुर से पत्थलगांव सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुशंसा सहित प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर से अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	हल्का नम्बर/वन खण्ड	खसरा नंबर	रकबा हेक्टे. में	मद
1	2	3	4	5	6	7
1	रैरूमाकला	रैरूमाकला	प.ह.13	217/3	0.186	छोटे झाड़ का जंगल
2	केराकछार	केराकछार	प.ह.3	436/1	0.184	छोटे झाड़ का जंगल
3	करमीटिकरा	करमीटिकरा	प.ह.नं. 12	1030/3	0.237	छोटे झाड़ का जंगल
4	करमीटिकरा	करमीटिकरा	प.ह.नं. 12	1145/1	0.194	छोटे झाड़ का जंगल
5	करमीटिकरा	करमीटिकरा	प.ह.नं. 12	1148/1	0.024	छोटे झाड़ का जंगल
6	करमीटिकरा	करमीटिकरा	प.ह.नं. 12	239	0.017	छोटे झाड़ का जंगल
	योग:-				0.842	

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 18/07/16 को अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया, कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.78 के अम्बिकापुर से पत्थलगांव सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किये जाने हेतु अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।


 श्रीमती बसंती देवी भगत
 अध्यक्ष, जनपद पंचायत पत्थलगांव
 सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन,
 अधिकार समिति पत्थलगांव


 श्रीमती मीनादेवी चौहान
 सदस्य, जनपद पंचायत पत्थलगांव
 सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन
 अधिकार समिति पत्थलगांव


 श्री रामप्रसाद
 सदस्य, जनपद पंचायत पत्थलगांव
 सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन
 अधिकार समिति पत्थलगांव